न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वाद संख्या : 125/2012

1. रामकिशन पुत्र चतरा
2. लटूर पुत्र सुखपाल
3. छीतर पुत्र सुखपाल
4. रामेश्वर पुत्र गणेशराम
5. मोहन पुत्र गणेशराम

जातियान धाकड निवासीगण शाहपुरा तहसील मांगरोल जिला बारां

....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. मंदिर श्री कल्याणराय जी महाराज बारां जरियें व्यवस्थापक
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल जिला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188, 19 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री भंवरसिंह गौड

दायरा दिनांक: 19.07.2012 निर्णय दिनांक : 12.10.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम शाहपुरा में स्थित आराजी 42 बीघा 15 बिस्वा माफी मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के खाते जमाबंदी 1997 से सम्वत 2009 तक खाते में दर्ज है। वादीगण के पिता व उनके पिता का नाम सम्वत 1997 से 2009 तक की जमाबंदी में जेली काश्त की हैसियत से दर्ज है। इसी प्रकार वादीगण का व उनके पिता व वादीगण के दादा का नाम सम्वत 1997 से 2013 तक जेली काश्तकार की हैसियत से खसरा गिरदावरी में नाम दर्ज है। उक्त आराजी की जमाबंदी सम्वत 2014 लगायत 2040 तक में बतौर सबटीनेन्ट जेली काश्त की हैसियत से वादीगण व उनके पिता का नाम दर्ज है। वादी रामकिशन के पिता चतरा के देहान्त के बाद सम्वत 2021 से 2024 तक की जमाबंदी में चतरा के देहान्त के बाद सम्वत 2021 से 2024 तक की जमाबंदी में चतरा के स्थान पर जर्ये इन्तकाल नं0 43 से वादी रामकिशन का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इसी प्रकार जमाबंदी सम्वत 2033 से 2036 में सुखपाल के स्थान पर उनके लडके वादी संख्या 2 व 3 लटूर व छीतर सबटीनेन्सी की हैसियत दर्ज किया गया है। इनका नाम इन्तकाल नं0 153 के जरिये उक्त जमाबंदी मे बतौर खातेदार दर्ज किया गया। इसी प्रकार गणेशराम की मृत्यु के बाद इन्तकाल नं0 204 के जरियें वादी संख्या 4 रामेश्वर व 5 मोहन का नाम बतौर खातेदार दर्ज किया गया। खसरा गिरदावरी सम्वत 2014 से सम्वत 2041 की मे भी

व उनके पिता का नाम सबटीनेन्ट की हैसियत से दर्ज है। उक्त वर्णित आराजी के सम्वत 2014 सेटलमेंट के बाद खसरा नं0 274 रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नं0 369 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 379 रकबा 11 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 381 रकबा 16 बीघा 18 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 42 बीघा 15 बिस्वा नम्बर कायम कर वादीगण व उनके पिता का नाम जमाबंदी में बतौर सबटीनेन्ट जैली काश्त दर्ज किया गया। सम्वत 2021 से 2024 में माफी रिज्यूम होने के बाद वादीगण के पिता चतरा सुखपाल, गणेशराम का नाम बतौर खातेदार उक्त वर्णित आराजी 42 बीघा 15 बिस्वा पर दर्ज किया गया। बाद सेटलमेंट उक्त आराजी के खसरा नम्बर 474 रकबा 1.06 है0, खसरा नं0 534 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 536 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 537 रकबा 0.22 है0, खसरा नं0 538 रकबा 0.23 है0, खसरा नं0 539 रकबा 0.63 है0, खसरा नं0 540 रकबा 1.45 है0, खसरा नं0 542 रकबा 1.07 है0, खसरा नं0 636 रकबा 0.17 है0, कुल किता 9 कुल रकबा 6.40 है0 कायम कर आराजी सेटलमेंट विभाग द्वारा मंदिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के नाम जरियें इन्तकाल नम्बर 40 से मंदिर के खाते दर्ज कर दी। सेटलमेंट के बाद वादीगण का नाम खाते से हटाने बाबत न तो वादीगण को सेटलमेंट विभाग द्वारा नोटिस दिया गया न ही किसी प्रकार की सूचना दी गई, सेटलमेंट विभाग व राजस्व अधिकारियों की आपसी सांठ–गांठ से वादीगण का नाम जो सम्वत 1997 से 2040 तक बतौर जैली काश्त, सबटीनेन्ट व मुनाफा काश्त व खातेदार की हैसियत से दर्ज था, को हटा दिया जिसका कि प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार से कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नही है। अतः निवेदन है कि खाता संख्या 204 जमाबंदी वर्तमान ग्राम शाहपुरा तहसील मांगरोल में वर्णित आराजी कुल किता 9 कुल रकबा 6.40 है0 तहसील मांगरोल में दर्ज खातेदार माफियात मंदिर श्री कल्याण राय जी विराजमान बारां के नाम हटाकर वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज करने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 19.07.2012 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण क्रम 2 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल जो राज्य सरकार को पैरोकार है की जांच रिपोर्ट ली गयी। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम राजस्व रेकार्ड में जमाबंदी सम्वत 2071–2074 में खाता सं0 274 पर किता 9 रकबा 6.40 है0 भूमि मन्दिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के खाते दर्ज है। वादीगणों के पिताओ क्रमशः चतरा, सुखपाल, सुखपाल, गणेशराम का सम्वत 1997 से 2040 तक मन्दिर माफी भूमि कल्याणराय जी विराजमान बारां के साथ बतौर जैली, काश्त, सबटीनेन्ट दर्ज था। जिसका उल्लेख वादीगण द्वारा संलग्न सम्वत 2003, 2004, 2005 की गिरदावरी में माफी मन्दिर के साथ वादीगण जैली काश्त बतौर दर्ज है। अतः मन्दिर मूर्ति शास्वत नाबालिग होने के कारण प्रार्थीगणो को उक्त आराजी पर खातेदार घोषित करना विधिसम्मत तथा न्यायोचित नही है। वर्तमान में उक्त भूमि में रकबा 2.17 होंगे

के अन्तर्गत मुनाफा काश्त बोली तहसील हाजा द्वारा पुकराई जाती है साथ ही उप राजस्व ग्रुप 6 कमांक प–2(4) राज0 4/90 दिनांक 13.12.1991 के अनुसार मंदिर देव मूर्ति मुनि में देव मूर्ति के साथ पुजारी के नाम से सम्बन्ध में पुजारी का सिवायत का सेवा पूजा का अधिकार है ता बहक दीवानी अधिकार है जिसका सम्बन्ध दिवानी न्यायालय से है राजस्व कानूनो के अधिकारो से उसका कोई संबंध नही है, तथा राजस्व रेकार्ड में खातेदार के साथ सिवायत का नाम लिखे जाने का कोई प्रावधान नही है। भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग बन्दोबस्त द्वारा बनाई जाये उसमें देव मूर्ति के साथ पुजारियों, सिवायत का नाम नही लिखा जावें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 09.10.2018 को वकील वादी का साक्ष्य का अवसर बन्द किया गया। दिनांक 12.10.2018 को उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी बहस में उन्ही तथ्यो को दोहराया है जिनका उनके द्वारा अपने वाद पत्र में अंकन किया गया है तथा प्रतिवादी कम 2 तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल की टिप्पणी के प्रकाश में ग्राम शाहपुरा की आराजी किता 9 रकबा 6.40 है0 जो मन्दिर श्री कल्याणराय जी विराजमान बारां के खाते दर्ज है कों वादीगण अपने नाम खाता दर्ज करवाना चाहते है, परन्तु उक्त आराजी भूमि माफी मन्दिर की है मुताबिक काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार रेकार्ड ऑफ रेवेन्यु में खातेदार व गैरखातेदार के अलावा अन्य किस्म का इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत नही है जिसमें पुजारी का नाम अंकित किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः वाद वादीगण सारहीन होने से खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.10.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुन